



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय

ओडिशा : भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha: Bhubaneswar

परिपत्र / Circular

विषय/ Subject: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभिमुखी कार्यक्रम, गहन हिंदी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को नामांकित करने के संबंध में।

Nomination of officers in **Orientation Programme, Intensive Hindi Workshops and Training Programme for faculties** to be organized by the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India-regarding.

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 188/रा.आ.अ. /05-2022 दिनांक 05.04.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) जो स्वतः व्याख्यात्मक है, के द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभिमुखी कार्यक्रम, गहन हिंदी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता हेतु इस कार्यालय के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।

अतः इच्छुक अधिकारीगण उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 19.04.2024 या उससे पूर्व विधिवत रूप से भरा हुआ संलग्न निर्धारित पंजीकरण फॉर्म, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (हिंप्रसं) को अग्रेषित करने के लिए **राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-I)** को प्रेषित करें।

अग्रेतर इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सहित इस परिपत्र का अवलोकन करें।

On the subject cited above, kindly find herewith enclosed copy of Headquarters' letter No. 188/OLA/05-2022 dated 05.04.2024 which is self-explanatory, wherein nomination has been called for participation in **Orientation Programme, Intensive Hindi Workshops and Training Programme for faculties** to be organized by the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India from the eligible Officers/Officials of this office.

Hence, willing officers may send their duly filled prescribed enclosed registration form to **Rajbhasha Section (Audit-I)** on or before 19.04.2024 for onward transmission to Central Hindi Training Institute (CHTI) for admission in the above mentioned training programmes.

Further, officers may visit the website of this office (under Function-> Administration -> Circular and Orders Menu) for detailed information regarding OM's of Ministry of Home Affairs (MoH) in this regard.

हस्ताक्षर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग
Sr. Audit Officer/Rajbhasha Section

ज्ञापन संख्या/ Memo No. हिंदी प्रकोष्ठ/38/ मुख्यालय संबंधी पत्र/ 06 दिनांक/ Date: 15.04.2024

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. IV/ ए.एम.जी. V/ PA to Sr. DAG, Admn / AMG IV/ AMG V
- 3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ PA to DAG, AMG I
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ PA to DAG, AMG II
- 5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ PA to DAG, AMG III
- 6- कल्याण अधिकारी/ Welfare Officer.
- 7- नियंत्रणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -

सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।

All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

ए.एम.जी.- I/ AMG-I	ए.एम.जी.- II/ AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.- V AMG-V	ओ.एम. I एवं II OM-I & OM-II
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	

- 8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया अनुलग्नक सहित इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along with the enclosures to our official website.

आचार्य श्री...

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

- ❖ **विषय:** संघ सरकार के समस्त मंत्रालय / विभाग / सरकारी उपक्रम / बैंक / निगम / निकाय / लोक उद्यम / संगठन आदि के प्रबन्धक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम के आयोजन, वर्ष-2024, से संबंधित।
- ❖ उपर्युक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 19011/28/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग. प्रशि / 501-900 दिनांक 16.02.2024 का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।
- ❖ 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधिकारी की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्यतन जानकारी देना, राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना। राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना।	03.06.2024 07.06.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/सहा.प्रबंधक (रा.भा.) / वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक / उपक्रम / निगम / निकाय/बीमा कंपनी / लोक-उद्यम आदि

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- ❖ उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो।
- ❖ नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- ❖ इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- ❖ कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- ❖ प्रशिक्षण केंद्र का पता- अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने / राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष

- ❖ इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- ❖ कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- ❖ प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- ❖ प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस स्टानिकटतन मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

12/14

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

❖ **विषय:** संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में।

❖ उपर्युक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 19011/27/2024-केहिप्रसं/अल्प, ग. प्रशि/88-500 दिनांक 16.02.2024 का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।

❖ गहन हिंदी कार्यशाला कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	गहन हिंदी कार्यशाला	<p>क) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सरकारी कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना</p> <p>ख) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने की झिझक को दूर करना</p> <p>ग) कार्यालयीन कार्य में दक्षता (लेखन-</p>	05 (पाँच) पूर्ण कार्य दिवस	संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ निगमों/ उद्यमों/ अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारी/कर्मचारी

		कौशल) प्रदान करना घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/सॉफ्ट वेयरों की जानकारी प्रदान करना		
--	--	--	--	--

पात्रता:

- ❖ राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। (कार्यसाधक का ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषा टिप्पणी 1 व 2 में दी गई है।)
- ❖ जिन हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के बाद कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।
- ❖ प्रवेश की पुष्टि प्रदान करते समय, उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

टिप्पणी-1- कार्यसाधक ज्ञान: यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- ❖ मेट्रिक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या
- ❖ केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वांछित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- ❖ केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है; या
- ❖ राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- ❖ मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- ❖ स्नातक परीक्षा अथवा उसकी समतुल्य अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है; या
- ❖ राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने प्रवीणता प्राप्त कर ली है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नामांकन की प्रक्रिया:

- ❖ उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक III में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं; ताकि प्रगामी पत्राचार में कोई असुविधा न हो।
- ❖ नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथा समय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- ❖ इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम का विनिर्धारित कार्य समय सुबह 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक है।

प्रशिक्षण केंद्र का पता:

- ❖ अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने / राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष सूचना:

- ❖ गहन हिंदी कार्यशालाओं का वार्षिक कैलेंडर अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- ❖ इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- ❖ कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- ❖ प्रशिक्षण की समाप्ति पर इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

- ❖ प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-1 देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

डि. रि. शर्मा
12/11
हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

विषय: वर्ष 2024 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

- उपर्युक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 19011/29/2024/केहिप्रसं/अल्प.ग. प्रशि./901-1300 दिनांक 16.02.2024 का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।

❖ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधिकारी की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना। उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक	16.12.2024 से 20.12.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऐसे संकाय सदस्य [Faculty members], जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं परंतु जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही हो।	भारत सरकार के विभिन्न संस्थान, प्रशिक्षण मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि।

		सशक्त बनाना ।			
--	--	------------------	--	--	--

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- ❖ उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो।
- ❖ नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- ❖ इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- ❖ कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

विशेष

- ❖ इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/ दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- ❖ कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- ❖ प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- ❖ प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस स्टानिकटन मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

12/1/17
हिंदी अधिकारी
Hindi Officer